



Neutral Citation No. - 2026:AHC:44197

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 8078 सन् 2026

श्री बाबू एवं 3 अन्य

.....याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचीगण के अधिवक्ता

: संजय कुमार वर्मा

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: सी.एस.सी., हरि नारायण सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1. याचीगण के अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उपस्थित सी.एस.सी. को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तावित आदेश के परिप्रेक्ष्य में, निजी प्रत्यर्थी को नोटिस निर्गत कर इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रत्यर्थी स्वयं को इस आदेश से आहत अनुभव करता/करती है, तो उसे इस आदेश के संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
3. प्रस्तुत याचिका याचीगण द्वारा इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि प्रत्यर्थी संख्या-3, तहसीलदार, घाटमपुर, जनपद कानपुर नगर को निर्देशित किया जाए कि वाद संख्या-1717 सन् 2024, संगणकीकृत वाद संख्या-टी202403410308456 का यथाशीघ्र निस्तारण करें।
4. याचीगण के अधिवक्ता का कथन है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उपनियम (7) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन दीर्घ अवधि से लंबित है। इस स्तर पर उपनियम (7) का उल्लेख समीचीन एवं प्रासंगिक है, जिसके अनुसार संबंधित प्राधिकारी पर यह दायित्व अधिरोपित है कि वह ऐसे आवेदन का समयबद्ध निस्तारण विधि के अनुरूप करे। उपनियम (7) इस प्रकार है—

“(7) तहसीलदार यह प्रयास करेगा कि नामांतरण के अविवादित वाद का निर्णय वाद के पंजीकरण की तिथि से 45 दिवस के भीतर तथा विवादित वाद का निर्णय 90

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिवस के भीतर किया जाए, और यदि कार्यवाही उक्त अवधि में पूर्ण नहीं होती है, तो उसके कारण अभिलेख पर अंकित किए जाएंगे।”

5. उपर्युक्त वैधानिक प्रावधानों के आलोक में तथा पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए, संबंधित प्राधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त आवेदन पर विधि के अनुरूप, गुण-दोष के आधार पर, यथाशीघ्र तथा अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर निर्णय करे, तथा अनावश्यक स्थगन प्रदान न किया जाए, जब तक कि कोई विधिक बाधा विद्यमान न हो।
6. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।
7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा पक्षकारों के परस्पर विवादित तथ्यों के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया गया है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

दिनांक : 26 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।